

an>

Title: Election of two members from Lok Sabha to Central Coordination Committee.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

"कि नःशुल्लत व्यलित (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन केंद्रीय समन्वयन समिति के सदस्यों के रूप में सभा में अपना कार्यकाल समाप्त होने की अवधि तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of Section 3 of the of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Coordination Committee for the period till they cease to be the Members of the House, subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

*The motion was adopted.*